न्यायालय :– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अजमेर

पीठासीन अधिकारी : रमन कुमार शर्मा, आर.जे.एस.

ई.एस.आई. प्रकरण संख्या–04/2010
सी.आई.एस. पंजीयन संख्या–17/2014
CNR – RJAJ030000112010

अरूण कुमार जैन पुत्र श्री पारसमल जैन, प्रोपराईटर मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स एफ–7 रिको औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर रोड़ ब्यावर जिला अजमेर।

...प्रार्थी

बनाम

1. सहायक निदेशक (राजस्व), क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम पंचदीप भवन भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
2. वसूली अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम राजसिको बिल्डिंग (III फ्लोर) उद्योग भवन तिलक मार्ग, जयपुर।
3. शाखा प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम कॉलेज रोड़, ब्यावर।
4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम जरिए इसके क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पंचदीप भवन भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
5. मै0 लक्ष्मी ग्राइन्डिग मिल्स जरिये उसकी प्रोपराईटर श्रीमती पदमा मूथा पत्नी श्री अरविन्द मूथा, एफ–6 रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेस III ग्राम रामपुरा मेवातियान, ब्यावर जिला अजमेर।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 75 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

उपस्थित:–

1. श्री जवाहरलाल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री बनवारीलाल शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 से 4 की ओर से।
3. श्री प्रदीप नाहर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–5 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 23.07.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 75 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2010 को मुख्यतः इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी अरूण कुमार जैन

पुत्र पारसमल मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स एफ–7 रिको औद्योगिक क्षेत्र अजमेर रोड़ ब्यावर जिला अजमेर का प्रोपराईटर/मालिक है। प्रार्थी का उक्त संस्थान रिको एरिया III फेस रामपुरा मेवातियान, ब्यावर पर अवस्थित है। प्रार्थी के संस्थान की रिको के द्वारा आवंटित प्लॉट संख्या एफ–7 पर स्थापना के पश्चात् मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स के नाम से वाणिज्यिक कर विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जिला उद्योग केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, विधुत कनेक्शन आदि है। प्रार्थी संस्थान राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों में मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स के नाम से पंजीकृत है। प्रार्थी संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स एफ–7 रीको औद्योगिक क्षेत्र ब्यावर में वर्ष 2003 में प्रोडक्शन प्रारम्भ होने के पश्चात् आज दिन तक कभी भी 7 से अधिक कर्मचारी नियुक्त नहीं रहे। प्रार्थी संस्थान में कभी भी संबंधित अवि में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत् नहीं रहे इस कारण प्रार्थी का संस्थान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर्ड नहीं होता और इसीलिए प्रार्थी संस्थान से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत किसी प्रकार के अंशदान की कोई राशि अप्रार्थी ई.एस.आई. द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद भी वसूल नहीं की गई। प्रार्थी संस्थान में उसकी स्थापना के समय से जो मशीने इंस्टालेशन लगे थे उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई व आज भी इसकी स्थापना के समय लगी मशीने ही है।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स का सर्वप्रथम निरीक्षण अप्रार्थी ई.एस.आई. संख्या–3 के अधिकारी बी.एम. ठठेरा द्वारा दिनाक 20.02.2004 को किया गया जिसके प्रमाण में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उक्त अधिकारी द्वारा विजिट नोट तैयार किया गया, जिसमें इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि प्रार्थी संस्थान में अक्टूबर 2003 व नवम्बर 2003 में 4 कर्मचारी, दिसम्बर 2003 से फरवरी, 2004 तक 7 कर्मचारी कार्यरत् पाए गए। अप्रार्थी संख्या–1 से 4 ई.एस.आई. के द्वारा प्रार्थी के संस्थान के समस्त वांछित रिकॉर्ड व फिजीकल वेरीफिकेशन के पश्चात तैयार किए गए उक्त नोट/रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स किसी भी दृष्टि से व ई.एस.आई. के नियमों के तहत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कवरेज की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ई.एस.आई. विभाग द्वारा प्रार्थी के संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स को एक अन्य पृथक् संस्थान मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स, जिसकी मालिक श्रीमति पदमा मूथा होकर वह संस्थान रीको के पृथक् प्लॉट एफ–6 पर स्थित है, को जबरन क्लब करने का प्रयास किया गया और इस हेतु एक अहस्ताक्षरित पत्र स.15/18364/31/ 1020 दिनांक

10.05.2004 से प्रार्थी के संस्थान को जबरन प्रोविजनल कवरेज करने की सूचना दी गई, जिस पर प्रार्थी संस्थान की ओर से अप्रार्थी संख्या–4 को लिखित में आपत्ति पत्र दिनांक 16.05.2004 से प्रेषित की, जिसमें उनके निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.02.2004 के निरीक्षण का हवाला देते हुए ई.एस.आई. में प्रार्थी के संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स को कवरेज की श्रेणी में नहीं आने के कारण प्रोविजनल कवरेज के किए गए रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर सूचित करने की प्रार्थना की गई लेकिन निरस्त करने की कोई सूचना प्राप्त नही हुई, जिस पर प्रार्थी संस्थान की ओर से अप्रार्थी ई.एस.आई. को पुनः स्मरण पत्र दिनांक 05.08.2004 प्रेषित किया गया। लेकिन अप्रार्थी ई.एस.आई. द्वारा प्रार्थी के संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स के प्रोविजनल कवरेज को निरस्त करने के स्थान पर अनुचित व अवैध रुप से प्रार्थी के संस्थान को किसी अन्य संस्थान मैसर्स लक्ष्मी ग्राइन्डिग मिल्स, जिसकी प्रोपराईटर श्रीमती पदमा मूथा है, के नाम से संयुक्त पत्र संख्या 4050 दिनांक 28.12.2004 व पत्र संख्या 5341 दिनांक 14.02.2006, 6061 दिनांक 29.03.2006 व 6063 दिनांक 29.03.2006 जारी किए गए, जिसका जबाब प्रार्थी संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स एवं केमिकल की ओर से दिनांक 10.04.2006 को अप्रार्थी संख्या 4 के उपनिदेशक को प्रेषित करके यह बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान प्रार्थी संस्थान पर लागू नहीं होते है व मैसर्स लक्ष्मी ग्राइन्डिग मिल्स व उसकी प्रोपराईटर श्रीमती पदमा मूथा से प्रार्थी संस्थान का कोई संबंध नहीं है। उक्त पत्र दिनांक 10.04.2006 के साथ प्रार्थी संस्थान के एक पृथक् संस्थान होने के प्रमाण में संबंधित दस्तावेजात् आदि भी अप्रार्थीगण कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्रस्तुत किए गए व अप्रार्थी संख्या–1 व 4 से निजी तौर पर मिलकर प्रार्थी संस्थान के कवरेज नहीं होने के दस्तावेजात के संबंध में निवेदन किया गया तो प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–1 व 3 द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि प्रार्थी संस्थान को गलत किए गए प्रोविजनल कवरेज को निरस्त कर दिया जाएगा परन्तु दो वर्ष की अवधि तक अप्रार्थीगण कर्मचारी राज्य बीमा निगम से इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात पत्र संख्या 74 व 79 दिनांक 01.04.2008 व पत्र संख्या 69 दिनाक 15.04.2008 प्राप्त होने पर प्रार्थी ने पुनः अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से संपर्क कर उनका ध्यान प्रार्थी संस्थान के कवरेज को निरस्त करने के दिनाक 10.04.2006 को दिए गए आश्वासन की ओर आकृष्ट कराया तो प्रार्थी को पुन: यह आश्वासन दिया गया कि प्रार्थी के संस्थान से कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसके उपरान्त भी इसके पश्चात अप्रार्थी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मात्र मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स के साथ प्रार्थी के नाम पर नोटिस संख्या 9058 दिनांक 31.05.2010

जारी कर मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स ब्यावर के अंशदान अवधि 4/2004 से 7/2007 की 92,816/-रूपये की मांग प्रेषित की, जिसका जबाब प्रार्थी ने रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 26.07.2010 से प्रेषित कर बताया कि मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है तथा बार-बार मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स से प्रार्थी का नाम जोड़ा जाना अनुचित व गलत है। इसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से प्रार्थी को मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स का प्रिंसीपल एम्पलोयर बताकर पत्र नोटिस संख्या 12900 दिनांक 17.09.2010, पत्र संख्या 13129 दिनांक 24.09.2010, पत्र संख्या 13982 दिनांक 25.10.2010 जारी कर मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स के अंशदान आदि की मांग प्रार्थी से की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने वसूली नोटिस संख्या 3322 दिनाक 08.11.2010 प्रार्थी को प्रेषित कर 1,42,840/-रूपये की मांग की अन्यथा अधिनियम की धारा 45ग से 45ड के उपबंधों के तहत वसूल करने की धमकी दी, जो अनुचित व गैर कानूनी है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उक्त पत्रों का जबाब दिनांक 23.11.2010 को प्रेषित किया गया। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के पत्र संख्या 15000183640000403/ राजस्व III प्रे. 12900 दिनांक 17.09.2010 व पत्र संख्या 15000183640000403/राजस्व III प्रे. 12129 दिनांक 24.09.2010 की पालना में दिनांक 21.10.2010 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अप्रार्थी संख्या-1 के पद पर कार्यरत् श्री आर.पी. शर्मा के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया लेकिन अप्रार्थी संख्या-1 के पद पर नियुक्त श्री आर.पी.शर्मा सहायक निदेशक द्वारा प्रार्थी का प्रतिवेदन यह कहते हुए लौटा दिया गया कि दोनो संस्थानों के पृथक्-पृथक् होने के दस्तावेजात् उनके रिकॉर्ड पर है व प्रकरण को समाप्त करने की कार्यवाही की जा ही है, उक्त आश्वासन पर प्रार्थी ने अपना प्रतिवेदन वापस ले लिया परन्तु उक्त आश्वासन के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या-1 से 4 ने प्रार्थी को नोटिस प्रेषित किए, जो अनुचित व गैर कानूनी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का वाद कारण दिनांक 17.09.2010, 25.10.2010 व दिनांक 08.11.2010 को उत्पन्न हुआ जब मांग पत्र आदेशों द्वारा अनुचित राशि की मांग की गई, तत्पश्चात् से वाद कारण निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बताते हुए प्रार्थी संस्थान ने इस आशय की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 प्रार्थी से एक पृथक् संस्थान मैसर्स लक्ष्मी ग्राइन्डिग मिल्स, जिसकी प्रोपराईटर श्रीमती पदमा मूथा है, के तथाकथित बकाया अंशदान राशि 1,42,840/-रूपये प्रार्थी से वसूल नहीं करे तथा अप्रार्थीगण के मांग पत्र संख्या 15/18364/31/1020 दिनांक 10.05.2004, पत्र

संख्या 4050 दिनांक 28.12.2004, पत्र संख्या 5341 दिनांक 14.02.2006, पत्र संख्या 6061 दिनांक 29.03.2006, पत्र संख्या 6063 दिनांक 29.03.2006, स. 75 व 75 दिनांक 01.04.2008, स. 89 दिनांक 15.04.2008, 9058 दिनांक 31.05.2008, स. 12900 दिनांक 17.09.2010, पत्र स. 13129 दिनांक 24.09.2010, 13982 दि. 25.10.2010 व वसूली नोटिस सं. 3322 दिनांक 08.11.2010 या अन्य कोई भी तारीख का मागं पत्र द्वारा वसूली, ब्याज आदि को गैर कानूनी, वोईड व अप्रभावी मानते हुए निरस्त करावे तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी से 1,42,840/–रूपये तथा भविष्य में भी प्रार्थी से मैसर्स लक्ष्मी ग्राइन्डिग मिल्स की अन्य कोई भी राशि वसूल करने या किसी प्रकार की विवरणिका के अधिकारी नहीं है। साथ ही यह भी घोषित किया जावे कि प्रार्थी उससे पृथक् संस्थान मैसर्स लक्ष्मी ग्राइन्डिग मिल्स, एफ–6, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेस III ग्राम रामपुरा मेवातियान, ब्यावर का प्रिंसीपल एम्पलोयर नहीं है व प्रार्थी का संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स व केमिकल ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानों में कवर नहीं होता है। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वह भी प्रार्थी संस्थान को दिलवाए जाने के आदेश न्याय हित में प्रदान करावे।

3. अप्रार्थी संख्या–1 से 4 की ओर से संयुक्त रूप से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित अधिकांश तथ्यों को गलत होने से अस्वीकार करते हुए मुख्यतः यह तथ्य अंकित किए गए कि प्रार्थी संस्थान में स्थापना के पश्चात् से 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे है और प्रार्थी ने अपने संस्थान को ई.एस.आई. से कवर्ड होने से बचने के उद्देश्य से अपने हाजरी रजिस्टर व वेतन रजिस्टर में केवल मात्र 6–7 कर्मचारी ही वर्णित किए है। जबकि प्रार्थी संस्थान पर ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। दिनांक 20.02.2024 को प्रार्थी संस्थान का निरीक्षण प्रार्थी की उपस्थिति में अप्रार्थी के निरीक्षक द्वारा किया गया, जिस संस्थान में व उस परिसर में दो संस्थान एक तो मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स तथा मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स चल रहे थे, दोनो संस्थानों के कर्मचारी आ जा रहे थे और दोनो संस्थानों में निरीक्षण के समय 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत् थे जिसकी जानकारी प्रार्थी को थी। बीमा निरीक्षक ने दिनांक 20.02.2024 को मैसर्स उदय मिनरल एण्ड केमिकल्स के साथ–साथ मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स का भी निरीक्षण किया और जो कर्मचारी मैसर्स उदय मिनरल एण्ड केमिकल्स में कार्य कर रहे थे वह कर्मचारी मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स में भी आ जा रहे थे और निरीक्षण के समय प्रार्थी ही दोनो संस्थानों को चला रहा था, वही देखभाल कर रहा था। निरीक्षण के समय प्रार्थी अरूण कुमार ने ही बीमा निरीक्षक को हाजरी रजिस्टर, वेतन रजिस्टर एक ही स्थान से निकाल कर

दिए, जो स्थान दोनो संस्थानों का कॉमन ऑफिस है। दोनो संस्थानों का कार्य एक समान व उत्पादन एक जैसा है, इस बात की सत्यता प्रार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर व संस्थान की मोहर है तथा बीमा निरीक्षक ने मौके पर प्रार्थी के समक्ष जो रिपोर्ट बनाई उसको प्रार्थी ने सही मानकर अपनी सहमति के हस्ताक्षर किए। इस कारण से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–5 दोनो एक ही है। प्रार्थी ने जानबूझ कर व ई.एस.आई. से बचने के लिए दोनो संस्थानों का नाम व प्रोपराईटर अलग–अलग रख दिए परन्तु दोनो के कार्यों में एक समानता होने से व एक परिसर में होने से विभाग द्वारा दोनो संस्थानों को सही क्लब किया गया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी संस्थान को कवरेज से पूर्व सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया परन्तु प्रार्थी अपनी हठधर्मिता के कारण सुनवाई हेतु व अपना पक्ष रखने के लिए अप्रार्थीगण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिसके लिए स्वयं प्रार्थी जिम्मेदार व उत्तरदायी है। अप्रार्थी संख्या–1 से 4 ने प्रार्थी संस्थान को कवरेज करके जो अंशदान की मांग निकाली है वह सही है। दिनांक 10.05.2024 को अप्रार्थी संख्या–1 से 4 ने दोनो संस्थानों को कोड नंबर आवंटित करते हुए कवरेज की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की और प्रार्थी को फार्म संख्या–1 भरकर प्रेषित करने के निर्देश भी दिए। दोनो संस्थानों की प्राप्तियाँ एक ही व्यक्ति ने अपने हस्ताक्षर करके प्राप्त की है इससे भी यही सिद्ध होता है कि दोनो संस्थान एक ही परिसर में चल रहे है और दोनो संस्थानों के कर्मचारी भी एक समान होकर उनका एक ही कार्यालय है। दिनांक 28.12.2004 को अप्रार्थीगण ने पुनः दोनो संस्थानों को पत्र भेजकर अपने पत्र दिनांक 10.05.2004 की पालना करने की सूचना भेजी। इसके पश्चात् अप्रार्थीगण ने पत्र दिनांक 14.02.2006 दोनो संस्थानों को जारी कर 4/2004 से 9/2005 तक की अवधि के अंशदान 67,568/–रूपये की मांग की, उक्त पत्र भी दोनो संस्थानों के एक ही कर्मचारी ने एक ही हस्ताक्षर करके प्राप्त की, उसके पश्चात् से अप्रार्थी संख्या–1 से 4 लगातार प्रार्थी के दोनो संस्थानों का निरीक्षण करते चले आ रहे है परन्तु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अंशदान की राशि जमा करवाई। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी संस्थान व अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान को संयुक्त रूप से पत्र प्रेषित कर अवधि 4/2004 से 7/2007 की 92,816/–रूपये की अंशदान की मांग की क्योंकि दोनो संस्थान एक ही है और दोनो संस्थानों के पत्र एक ही व्यक्ति अपने हस्ताक्षरों से प्राप्त कर रहा है। उक्त अंशदान की मांग भी सही, उचित एवं वाजिब है। प्रार्थी का दिनांक 26.07.2010 का पत्र अप्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी संस्थान द्वारा अंशदान की राशि जमा नहीं करवाने पर दिनांक 24.09.2010 को अप्रार्थीगण ने 8/2007 से 3/2010 तक की अवधि की अंशदान की राशि कुल मिलाकर 1,83,040/–रूपये की डिमाण्ड निकाली और सुनवाई

हेतु प्रार्थी संस्थान के प्रोपराईटर को दिनांक 21.10.2010 को बुलवाया परन्तु प्रार्थी संस्थान का प्रोपराईटर उपस्थित नहीं हुआ। इसके पश्चात् समाचार पत्र के मधयम से दिनांक 23.12.2010 को पुनः एक अवसर दिया। इस संदर्भ में अरूण कुमार प्रोपराईटर मैसर्स उदय मिनरल्स व राहुल कुमार गहलोत आथेराईटर परसन ने कवरेज के संबंध में दिनांक 23.12.2010 को अपना पक्ष रखा एवं पत्रावली पर व्यक्ति सुनवाई के समय दिए गए बयान एवं अप्रार्थीगण दिए गए निर्णय बाबत् लिखी गई प्रोसेडिंग पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस प्रकार प्रार्थी संस्थान अपनी हठधर्मिता पर अडिग रहे और अंशदान की राशि मय ब्याज आज तक जमा नहीं करवाई। तब अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.08.2011 व 08.09.2011 को पत्र जारी करते हुए 8/2007 से 3/2010 तक की अवधि के अंशदान 1,83,040/–रूपये मूल राशि तथा उक्त राशि पर ब्याज के 28,720/–रूपये व कॉस्ट के 100/–रूपये, कुल 2,11,860/–रूपये की मांग भिजवाई जिसकी पालना प्रार्थी द्वारा आज तक नहीं की गई है। प्रार्थी को पूर्ण सुनवाई का मौका दिया गया तथा समय–समय पर प्रार्थी संस्थान को पत्र जारी किए परन्तु प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। दिनांक 21.10.2010 को प्रार्थी, अप्रार्थीगण के कार्यालय में श्री आर.पी. शर्मा के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और ना ही उन्होने प्रार्थी के प्रकरण को समाप्त करने का कोई आश्वासन दिया। प्रार्थी के जिला उद्योग केन्द्र अधिकार के प्रमाण पत्र में भी मैसर्स उदय मिनरल एण्ड केमिकल्स तथा मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स दोनो संस्थानों का एक ही पता वर्णित किया है और दोनो संस्थानों का रजिस्ट्रेशन भी एक ही किया गया है। प्रार्थी के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में भी दोनो संस्थनों का एक ही पता है और दोनो संस्थानों में कार्य की प्रकृति भी एक ही है, परन्तु दोनो संस्थानों के प्रापराईटर अलग–अलग दिखाए हुए है पर उनका रहने का पता एक ही बताया गया है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि दोनो संस्थान एक ही है, इस कारण अप्रार्थीगण ने दोनो संस्थानों को जो क्लब करके अंशदान की मांग जारी की है वह सही है। अप्रार्थी संख्या–1 से 4 ने यह भी आपत्ति दर्ज करवाई कि प्रार्थी संस्थान ने अधिनियम की धारा 75(20)(बी) के मेनेडट्री प्रावधानों की अवहेलना करते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा जो अंशदान की वसूली की डिमाण्ड निकाली है, उस राशि की 50 प्रतिशत राशि भी जमा नहीं कराई है इस कारण प्रार्थी संस्थान की मूल अर्जी कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी संस्थान द्वारा अंशदान की राशि जमा नहीं कराते है तो प्रार्थी संस्थान में नियोजित कर्मचारी हितलाभ से वंचित हो जाएंगे, जिसका कूप्रभाव नियोजित कर्मचारियों पर पड़ेगा जिसके लिए प्रार्थी संस्थान सीधे तौर पर जिम्मेदार व उत्तरदायी है। अतः प्रार्थी संस्थान के बेबुनियाद,

मनगढन्त, सारहीन प्रार्थना पत्र को मय भारी व विशेष खर्चे सहित खारिज किया जाए।

4. अप्रार्थी संख्या–5 मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स ब्यावर की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–4, 6, 7 व 12 सही व सत्य होने से स्वीकार करते हुए मुख्यतः यह तथ्य अंकित किए गए कि अप्रार्थी संख्या–5 का संस्थान एक पृथक् संस्थान है, जिसका प्रार्थी संस्थान से ना तो कोई लेना–देना है और ना ही कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। इसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या–1 से 4 कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अप्रार्थी संख्या–5 के संस्थान को जबरन प्रार्थी के संस्थान से क्लब करके कवरेज करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि अप्रार्थी संख्या–5 के संस्थान मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स में उसकी स्थापना से लेकर आज दिन तक कभी भी 7 से अधिक कर्मचारी कार्यरत् नहीं रहे है, इस कारण उसका संस्थान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या–1 से 4 ने मिथ्या, गलत व अनुचित निर्देश कवरेज के जारी किए जो पूर्णतया अनुचित व अवैध थे, इसलिए अप्रार्थी संख्या–1 से 4 का पत्र प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 5 मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स ने अप्रार्थी संख्या–4 को पत्र दिनांक 17.05.2004 प्रेषित कर यह निवेदन किया कि उसके संस्थान को अनुचित व अवैध रुप से किए गए कवरेज को निरस्त किया जावे क्योकि निरीक्षण रिपोर्ट दिनाक 20.02.2004 के आधार पर प्रार्थी का संस्थान कवरेज की श्रेणी में नहीं आता है व उक्त पत्र के साथ अप्रार्थी संख्या–5 मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति भी प्रेषित की गई एवं यह भी निवेदन किया गया कि मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स के प्रोविजनल कवरेज की निरस्तीकरण की सूचना अप्रार्थी संख्या–5 को प्रेषित की जावे। अप्रार्थी संख्या–5 मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स के उक्त पत्र की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या–3 को भी प्रेषित की गई। अप्रार्थी संख्या–5 मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स को उक्त निवेदनानुसार जब कोई निरस्तीकरण की सूचना अप्रार्थी संख्या–2 लगायत 4 से प्राप्त नहीं हुई तो अप्रार्थी संख्या–5 ने पुनः एक पत्र दिनाक 08.08.2004 अप्रार्थी संख्या–4 को प्रेषित किया और उसकी प्रति अप्रार्थी संख्या–3 को प्रेषित की जाकर उसके संस्थान मैसर्स ग्राइडिंग मिल्स के कवरेज के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध किया तथा यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया कि अप्रार्थी संख्या–5 मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स का मैसर्स उदय मिनरल्स व केमिकल्स से कोई संबंध व लेना देना नहीं है लेकिन अप्रार्थी संख्या–5 मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स के कवरेज के निरस्तीकरण की कोई सूचना अप्रार्थी संख्या–1 से 4 द्वारा नहीं दी गई। अप्रार्थी संख्या–5 को अप्रार्थीगण कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पत्रों द्वारा यह सूचित किया गया कि दोनों संस्थानो का भौतिक सत्यापन करने पर भौगोलिक एकरुपता

तथा श्रमिकों के कार्य एक–दूसरे से इन्टर चेन्जेबिलिटी लिए हुए पाया गया, जो पूर्णतयाः मिथ्या व गलत है। प्रथम तो उक्त पत्रों मे दो निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण का उल्लेख किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या–5 को मात्र एक निरीक्षक श्री जी.एल. लखन का पत्र दिनांक 06.08.2007 प्राप्त हुआ था, जिसमें मात्र उनके अकेले के द्वारा ही दिनांक 10.08.2007 को निरीक्षण करने की सूचना दी गई थी एवं बाद में पत्र दिनांक 01.04.2008 से दो निरीक्षको का उल्लेख कर दो निरीक्षको द्वारा निरीक्षण करने की सूचना देना पूर्णतया गैरबाजिब, अनुचित व गलत है। इस निरीक्षण रिपोर्ट पर ना तो अप्रार्थी संख्या–5 से कोई हस्ताक्षर करवाए गए और ना ही इस निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति अप्रार्थी संख्या–5 द्वारा मांगने पर दी गई, जो पूर्णतया अनुचित व गलत है क्योंकि अप्रार्थी संख्या–5 के संस्थान का प्रार्थी के संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स से कोई संबंध नहीं है व दोनो संस्थान पृथक्–पृथक् संस्थान है । अप्रार्थी संख्या–5 के संस्थान के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवरेज की श्रेणी मे नहीं आने के कारण उसको जबरन किए गए प्रोविजनल कवरेज को निरस्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 5 ने अप्रार्थी संख्या–4 व 3 को पत्र दिनांक 17.05.2004 व पत्र दिनांक 08.08.2004 प्रेषित करने के पश्चात अप्रार्थी संख्या–5 के संस्थान को अप्रार्थी संख्या–3 के कार्यालय का पत्र दिनांक 15.12.2004 प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या–5 के संस्थान को यह सूचित किया गया कि उसके संस्थान का निरीक्षण दिनांक 26.12.2004 को किया जावेगा जिसके लिए दस्तावेजात आदि तैयार रखने के निर्देश दिए गए। इस पत्र में वर्णनानुसार श्री बी.एम. ठठेरा, बीमा निरीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ब्यावर द्वारा अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान का निरीक्षण दिनाक 26.12.2004 को किया गया व इस निरीक्षण के दौरान उक्त बीमा निरीक्षक द्वारा वांछित समस्त दस्तावेजात व सूचनाएं प्रस्तुत की व साथ ही यह भी प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान का मैसर्स उदय मिनरल्स व केमिकल्स से कोई संबंध व लेना देना नहीं है, दोनो पृथक्–पृथक् संस्थान होकर पृथक्–पृथक् प्लाट पर स्थित है। अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान प्लोट नंबर एफ–6 पर स्थित है, जबकि मैसर्स उदय मिनरल्स व केमिकल्स प्लोट नंबर एफ–7 पर स्थित है। अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान में इसकी स्थापना से लेकर कभी भी सात से अधिक श्रमिक कार्यरत नहीं रहे, इस कारण अप्रार्थी संख्या–5 का संस्थान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवरेज की श्रेणी मे नहीं आता है। इस निरीक्षण के दौरान उक्त बीमा निरीक्षक को प्रार्थिया संस्थान ने अपने कथनों से पूर्णतयाः संतुष्ट किया कि अप्रार्थी संख्या–5 का संस्थान कवरेज की श्रेणी मे नहीं आता है। लेकिन उक्त बीमा निरीक्षक की रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या–2 के कार्यालय मे पहुंचने से पूर्व व

उस निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन किए बिना ही अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान को अप्रार्थी संख्या–2 का एक पत्र संख्या 4048 दिनांक 28.12.2004 जो अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स व प्रार्थी के मैसर्स उदय मिनरल्स व केमिकल्स को संयुक्त रुप से प्रेषित गया, प्राप्त हुआ व जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि दोनो यूनिट्स से सात–सात कर्मचारी है, अतः दोनो यूनिट्स को क्लब कर कवर किया गया है अतः तुरन्त अनुपालना प्रारम्भ कर दे। इसके साथ ही अप्रार्थी संख्या–5 के संस्थान को अप्रार्थी संख्या–2 का दिनांक 28.12.2004 का ही एक पत्र संख्या 4051 भी प्राप्त हुआ जिसमें तथाकथित देय अंशदान 16,266/–रूपये की गणना कर कारण पूछा की क्यों नहीं इसका निर्धारण कर दिया जावे जिसका प्रत्युतर प्रार्थिया ने अपने पत्र दिनांक 12.01.2005 से देकर इस गणना से अपनी असहमति जताई व इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या–1 से 4 के समक्ष उपस्थित होकर अनेक बार अपना पक्ष रखा व अनुचित कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना की। अतः अप्रार्थी संख्या–5 की ओर से प्रस्तुत जवाब से प्रकट है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुचित व अवैध रूप से दो पृथक्–पृथक् संस्थानों को जबरन क्लब कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है, जो अनुचित व अवैध होने के कारण शून्य व निरस्त घोषित की जावे।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में दिनांक 04.09.2014 को निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गए :–

(1) आया प्रार्थी, मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स की तथाकथित बकाया अंशदान राशि 1,42,840/–रूपये स्वयं से वसूल न किए जाने के क्रम में अप्रार्थी को पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है ?

.....प्रार्थी

(2) आया प्रार्थी इस क्रम में अप्रार्थी द्वारा उसे दिए गए मांग पत्र क्रमश दिनांकित 10.05.2004, 28.12.2004, 14.02.2006, क्रमांक 6061 दिनांक 29.03.2006 व 6063 दिनांक 29.03.2006, 01.04.2008, 15.04.2008, 31.05.2008, 17.09.2010, 24.09.2010, 25.10.2010 व 08.11.2010 को निरस्त करवा पाने का अधिकारी है ?

.....प्रार्थी

(3) आया प्रार्थी यह घोषणा करवा पाने का अधिकारी है कि वह मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स का प्रिंसीपल एल्पलॉयर नहीं है ?

.....प्रार्थी

(4) आया प्रार्थी का संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स व केमिकल्स कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर नहीं होता है ?

.....प्रार्थी

(5) आया प्रार्थी द्वारा धारा 75(20)(बी) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किए जाने के कारण, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है ?

.....अप्रार्थी

(6) अनुतोष ?

6. प्रार्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नांकित गवाह को परीक्षित कराया गया।

ए.डब्ल्यू.1	अरूण कुमार
ए.डब्ल्यू.2	पदमा मूथा

7. प्रार्थी की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजात् पेश कर प्रदर्शांकित करवाए गए :-

प्रदर्श-1	अप्रार्थी का पत्र दिनांकित 18.04.2012
प्रदर्श-2	ई.एस.आई. का पत्र दिनांकित 29.04.2011
प्रदर्श-3	प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट
प्रदर्श-4	विजीट नोट
प्रदर्श-5	ई.एस.आई. का पत्र दिनांकित 08.04.2004
प्रदर्श-6	नक्शा मौका
प्रदर्श-7	अप्रार्थी की कार्यालय टिप्पणी
प्रदर्श-8	उक्त पत्र का लिफाफा
प्रदर्श-9	विजीट नोट दिनांकित 20.09.2004
प्रदर्श-10	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 1020 दिनांकित 10.05.2004
प्रदर्श-11	प्रार्थी द्वारा ई.एस.आई. को प्रेषित पत्र दिनांकित 16.11.2004
प्रदर्श-12	उक्त पत्र की पावती
प्रदर्श-13	प्रार्थी द्वारा ई.एस.आई. को प्रेषित पत्र दिनांकित 05.08.2004

प्रदर्श–14	उक्त पत्र की पावती
प्रदर्श–15	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 4050 दिनांकित 28.12.2004
प्रदर्श–16	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 5341 दिनांकित 14.02.2006
प्रदर्श–17	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 5345 दिनांकित 14.02.2006
प्रदर्श–18	उक्त पत्र का लिफाफा
प्रदर्श–19	प्रार्थी द्वारा ई.एस.आई. को प्रेषित पत्र
प्रदर्श–20	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 6061 दिनांकित 29.03.2006
प्रदर्श–21	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 6063 दिनांकित 29.03.2006
प्रदर्श–22	ई.एस.आई. को प्रेषित पत्र दिनांकित 10.04.2006
प्रदर्श–23	प्रार्थी द्वारा ई.एस.आई. को प्रेषित पत्र दिनांकित 10.04.2006
प्रदर्श–24	प्रार्थी का वाणिज्यिक कर अधिकारी ब्यावर का प्रमाण पत्र
प्रदर्श–25	प्रार्थी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
प्रदर्श–26	प्रार्थी का प्रदूषण विभाग का प्रमाण पत्र
प्रदर्श–27	लीज एग्रीमेंट
प्रदर्श–28ए	विधुत प्रपत्र प्रार्थी माह अक्टूबर 2003
प्रदर्श–29	अप्रार्थी ई.एस.आई. का पत्र संख्या 4133 दिनांकित 03.11.2006
प्रदर्श–30	अप्रार्थी का पत्र संख्या 79 दिनांकित 01.04.2008
प्रदर्श–31	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 75 दिनांकित 01.04.2008
प्रदर्श–32	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 69 दिनांकित 15.04.2008
प्रदर्श–33	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 905 दिनांकित 31.05.2010
प्रदर्श–34	उक्त पत्र का लिफाफा
प्रदर्श–35	प्रार्थी द्वारा ई.एस.आई. को प्रेषित पत्र दिनांकित 27.07.2010
प्रदर्श–36	उक्त पत्र की रजिस्ट्री रसीद
प्रदर्श–37	उक्त पत्र की पावती
प्रदर्श–38	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 13982 दिनांकित 25.10.2010

प्रदर्श–39	प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को प्रेषित पत्र दिनांकित 23.11.2010
प्रदर्श–40	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 12900 दिनांकित 17.09.2010
प्रदर्श–41	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 13129 दिनांकित 24.09.2010
प्रदर्श–42	प्रार्थी का ई.एस.आई. को प्रेषित पत्र दिनांकित 23.11.2010
प्रदर्श–43	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 3322 दिनांकित 23.11.2010
प्रदर्श–44	प्रार्थी का पत्र दिनांकित 23.11.2010
प्रदर्श–45 से 47	डाक विभाग की रजिस्ट्री रसीद प्राप्ति पत्र
प्रदर्श–48ए से 53ए	प्रार्थी संस्थान की उपस्थिति पंजिका अक्टूबर 2003 से मार्च 2004
प्रदर्श–54ए से 59ए	प्रार्थी संस्थान की वेतन पंजिका माह अक्टूबर 2003 से दिनांक 31.03.2004 तक
प्रदर्श–60ए से 71ए	प्रार्थी संस्थान की उपस्थिति पंजिका माह अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक
प्रदर्श–72ए से 83ए	प्रार्थी संस्थान की वेतन पंजिका माह अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक
प्रदर्श–84ए से 95ए	प्रार्थी संस्थान की उपस्थिति पंजिका माह अप्रैल 2005 से दिनांक 31.03.2006 तक
प्रदर्श–96ए से 107ए	प्रार्थी संस्थान की वेतन पंजिका माह अप्रैल 2005 से दिनांक 31.03.2006 तक
प्रदर्श–108ए	ई.एस.आई. द्वारा अखबार में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना
प्रदर्श–109	प्रार्थी द्वारा ई.एस.आई. के वसूली अधिकारी जयपुर को प्रेषित किया गया पत्र दिनांकित 23.12.2010
प्रदर्श–110	उक्त पत्र की पावती रसीद
प्रदर्श–111	ई.एस.आई. का पत्र संख्या 17866 दिनांकित 03.01.2011
प्रदर्श–112	उक्त पत्र का लिफाफा
प्रदर्श–113	प्रार्थी द्वारा उप निदेशक राजस्व ई.एस.आई. जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांकित 25.11.2011

प्रदर्श–114 से 116	डाक रसीदे

8. अप्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नांकित गवाहान को परीक्षित करवाया गया :–

डी.डब्ल्यू.1	बी.एम. ठेठरा

9. अप्रार्थीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजात् पेश कर प्रदर्शांकित करवाए गए :–

प्रदर्श–ए1	प्रार्थी संस्थान का जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र
प्रदर्श–ए2	वाणिज्यिक रजि. प्रमाण पत्र
प्रदर्श–ए3	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
प्रदर्श–ए4ए	प्रार्थी संस्थान की प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट
प्रदर्श–ए5ए	विजीट नोट
प्रदर्श–ए6ए	लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स की प्रांरभिक निरीक्षण रिपोर्ट
प्रदर्श–ए7ए	विजीट नोट
प्रदर्श–ए8ए	लक्ष्मी ग्राइडिंग का जिला प्रमाण पत्र
प्रदर्श–ए9ए	ई.एस.आई. की कार्यालय टिप्पणी
प्रदर्श–ए10ए	ई.एस.आई. विभाग का पत्र
प्रदर्श–ए11ए व प्रदर्श–ए12ए	पावती पत्र
प्रदर्श–ए13ए	अनुपालना हेतु ई.एस.आई. विभाग द्वारा जारी पत्र
प्रदर्श–ए14ए	ई.एस.आई. विभाग का पत्र
प्रदर्श–ए15ए से प्रदर्श–ए16ए	ए.डी. रसीदे
प्रदर्श–ए17ए	ई.एस.आई. विभाग के अन्य बीमा निरीक्षकों द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट निरीक्षण
प्रदर्श–ए18ए व प्रदर्श–ए19ए	ई.एस.आई. विभाग का पत्र

प्रदर्श–ए20ए	वसूली अधिकारी का पत्र
प्रदर्श–ए21ए	ई.एस.आई. विभाग का पत्र
प्रदर्श–ए22ए	धारा 45(क) का आदेश
प्रदर्श–ए23ए	ई.एस.आई. विभाग का पत्र
प्रदर्श–ए24ए	वसूली अधिकारी का पत्र
प्रदर्श–ए25ए	ए.डी. रसीद
प्रदर्श–ए26ए	उनके विभाग का प्रार्थी संस्थानों को सुनवाई का पत्र
प्रदर्श–ए27ए	धारा 45(क) का आदेश
प्रदर्श–ए28ए	अखबार की विज्ञप्ति जिसमें प्रार्थी संस्थान को सुनवाई हेतु नोटिस है।
प्रदर्श–ए29ए	अप्रार्थी सं.5 संस्थान का रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

10. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह तर्क दिया कि प्रार्थी संस्थान का प्रोपराईटर अरूण जैन है तथा प्रार्थी संस्थान के साथ मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स अप्रार्थी संख्या–5 को अनुचित व गलत तरीके से क्लब किया गया है। जबकि प्रार्थी संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स व मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स अलग–अलग परिसर में है जिनके अलग–अलग मालिक है व अलग–अलग कर्मचारीगण है तथा उनका वित्तीय रिकॉर्ड भी अलग–अलग संधारित किया जाता है। बीमा निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी संस्थान में 10 से कम कर्मचारीगण है तथा उन्होने अपनी प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 में प्रार्थी संस्थान में 10 से कम कर्मचारी होने के कारण प्रार्थी संस्थान को व्याप्ति योग्य नहीं पाया था, इसके उपरान्त भी प्रार्थी संस्थान को अप्रार्थी संख्या–5 मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स संस्थान के साथ बिना सुनवाई का अवसर दिए गलत तरीके से क्लब करके कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत कवरेज किया गया है, जो विधि के विरूद्ध है। अतः अप्रार्थी संख्या–1 से 4 के मांग पत्र व डिमाण्ड नोटिस को निरस्त व अवैध घोषित किया जाकर न्यायालय के आदेश से जमाशुदा 25 प्रतिशत की राशि प्रार्थी संस्थान को दिलवाई जाए। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए :–

(1) Supreme Court of India Division Bench Gannmani Anasuya and others Vs Parvatini Amarendra Chowdhary and others Civil Appeal No. 7318 of 2000 Decided on 17.05.2007

(2) 2005(3) DNJ (Raj.) 1651 ESI Court Vs Hotel Pankaj.

(3) 2006 LLR 308 Regional Director, Employees' State Insurance Corporation and others Vs M/s. Ram Kumar Suresh Kumar Timber, Merchant.

(4) 2008 LLR 462 (Kerala) Employees' State Insurance Corporation Vs Baby Francis.

(5) 2017 LLR 927 (Bombay) M/s. Natraj Cinema Vs The Deputy Regional Director, Employees' State Insurance Corporation.

(6) 2007(3) Civil Court Cases 608 (A.P.) Mohd. Ibrahim and ors. Vs Smt. Muni @ Zinab Bee.

(7) 2007(3) Civil Court Cases 611 (Orrisa) Sukadev Rout Vs Abali Bewa & Ors.

(8) Jaipur Bench S.B. Civil First Appeal No. 174 of 1979 Pooran Mal Vs Ganga Sagar Decided on 06.05.1988

(9) 2012 LLR 1049 (Patna) Regional Director, Employees' State Insurance Corporation and another Vs Kiran Cinema

11. इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह तर्क दिया कि प्रार्थी संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स एवं मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स का दिनांक 20.02.2004 को अप्रार्थी के बीमा निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया तो दोनो संस्थानों का संचालन एक ही व्यक्ति अरूण कुमार जैन द्वारा किया जा रहा था। अप्रार्थी संख्या–5 मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स की प्रोपराईटर श्रीमती पदमा मूथा, प्रार्थी अरूण कुमार जैन की सगी भाभी है तथा दोनो संस्थानों का संचालन एक ही परिसर में किया जाता है, जिनके मध्य कोई बाउण्ड्री वॉल नहीं है। दोनो संस्थानों के श्रमिक परस्पर एक–दूसरे संस्थानों में कार्य करते है तथा दोनो संस्थानों के उत्पादन का कार्य लगभग एक ही है। उनका यह भी तर्क रहा कि दोनो संस्थानों के लेटर हैड क्रमशः प्रदर्श–ए5ए व प्रदर्श–ए7ए में कार्यालय का एक ही पता व एक ही मोबाइल नंबर अंकित है, ऐसे में यह स्पष्ट है कि दोनो संस्थानों के कार्यालय का पता व टेलीफोन एक ही होने से उनका संचालन एक ही वस्तु के उत्पादन के लिए एक साथ किया जाता है। वक्त निरीक्षण दोनो संस्थानों में 7–7 कर्मचारी पाए जाने के कारण उन्हें क्लब करने पर कर्मचारियों की संख्या 14 होती है इसलिए प्रार्थी

संस्थान व अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान को क्लब करके कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कवरेज किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा कि प्रार्थी संस्थान ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व देय राशि का 50 प्रतिशत की राशि जमा नहीं करवाई थी बल्कि प्रार्थना पत्र पेश करने के पश्चात् न्यायालय के आदेश से 25 प्रतिशत की राशि जमा करवाई है। ऐसे में प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 75(2)(B) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रारम्भ से ही पोषणीय नहीं है। अंत में उनका यह निवेदन रहा कि अप्रार्थी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रार्थी संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार वैध कार्यवाही की गई है और प्रार्थी न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाए। विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(12), 2(13), 2(17) की ओर आकृष्ट कराते हुए अपने तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए :–

(1) AIR 1968 Supreme Court 1413 Gopal Krishnaji Vs Mohamed Haji Latif and others.

(2) 2008 Law Suit (SC) 2229 Sumangali Vs Regional Director, ESI Corporation.

(3) 2005 LAB I.C. 1011 M/s. Munshaw Industries,Bombay Vs Employees State Insurance Corporation Bombay.

(4) WLC 2007 (Raj.) 547 The Regional Provident Fund Commissioner & Another Vs M/s. Moti Warping Factory.

(5) 2010 LLR 1277 (Delhi) Gopi Chand and ors. Vs Employees State Insurance Corp.

12. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का भी अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टयान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण में विरचित किए गए विवाद्यकों के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

13. **विवाद्यक संख्या–01 व 02** :–

इन दोनो विवाद्यकों को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। सुविधा व साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस दृष्टि से इन दोनो विवाद्यकों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।

14. इन विवाद्यकों के संबंध में उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में न्यायालय का विवेचन इस प्रकार है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 2(12) के तहत किसी कारखाना या स्थापना को आच्छादित करने के लिए उसमें कम से कम 10 कर्मचारियों का नियोजित होना आवश्यक है तथा हस्तगत मामले में प्रार्थी संस्थान को अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान के साथ संयोजित करते हुए दोनो संस्थानों में कुल 14 कर्मचारी कार्यरत् होने से प्रार्थी निगम द्वारा आच्छादित करते हुए अंशदान की राशि 1,42,840/–रूपये का वसूली नोटिस जारी किया। अब न्यायालय के समक्ष अवधारणीय बिन्दु यह है कि क्या अप्रार्थी निगम द्वारा प्रार्थी संस्थान का अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स के साथ संयोजित किया जाना विधि सम्मत है ? इस बिन्दु को तय करने से पूर्व उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का सम्मानपूर्वक परिशीलन करने से माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय ने संयोजन के योग्य स्थापना के लिए विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लि. बनाम उसके कर्मकार ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 56 में संयोजन के लिए टेस्ट अभिनिर्धारित किया है कि स्वामित्व व प्रबन्धन व नियंत्रण में एकता तथा कार्यात्मक समग्रता व नियोजन में एकता व वित्तीय एकता तथा कुल मिलाकर दोनो औद्योगिक ईकाइ एक स्थापना के लिए दोनो ईकाइयों का एकीकरण संपूर्णता से देखा जा सकता है।

15. अब हस्तगत मामले में जो परिस्थितयाँ साक्ष्य से उभर कर आई है, अब यहाँ पर उनका वर्णन किया जाना संगत है :–

(1) प्रार्थी संस्थान की प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श–ए4ए में 10 से कम कर्मचारी कार्यरत होने से उसे व्याप्ति योग्य नहीं पाया गया। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स की प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श–ए6ए में भी उसे 10 से कम कर्मचारी कार्यरत् होने के कारण उसे व्याप्ति योग्य नहीं पाया गया। प्रदर्श–ए4ए व प्रदर्श–ए6ए प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्टों में वर्णित उपरोक्त तथ्यों को अप्रार्थी की ओर से परीक्षित गवाह डी.डब्ल्यू.1 बी.एम. ठेठरा ने भी जिरह में स्वीकार किया है और यह कथन किया है कि उसकी प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार दोनो संस्थानों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत कवर करने की अनुशंसा नहीं की गई थी।

(2) पत्रावली पर प्रार्थी संस्थान व अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान के पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध है, जिनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी संस्थान का मालिक

अरूण कुमार है, जबकि अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान की मालिक पदमा मूथा नाम की महिला है।

(3) प्रार्थी संस्थान के संबंध में राजस्थान सरकार के उपक्रम जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–1 में फैक्ट्री का पता रीको इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र फेज III रामपुरा मेवतियान के प्लोट संख्या एफ–7 पर बताया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या–5 संस्थान के संबंध में स्वयं निगम के बीमा निरीक्षक द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श–ए6ए में फैक्ट्री का पता रीको इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र फेज III रामपुरा मेवतियान के प्लोट संख्या एफ–6 पर होना बताया है और अप्रार्थी संख्या–5 के लेटर हैड पर जारी विजीटिंग नोट प्रदर्श–ए7ए में भी उक्त संस्थान प्लोट संख्या एफ–6 पर स्थित होने का अंकन है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि दोनो संस्थान अलग–अलग प्लोट संख्या क्रमशः एफ–7 व एफ–6 पर स्थित है, जिसे अप्रार्थी निगम की ओर से परीक्षित गवाह डी.डब्ल्यू.1 बी.एम. ठेठरा ने भी जिरह में स्वीकार किया है।

(4) दोनो संस्थानों के कर्मचारीगण अलग–अलग है तथा अप्रार्थी निगम के गवाह डी.डब्ल्यू.1 बी.एम. ठेठरा के अनुसार दोनो संस्थानों के मध्य दीवार है और दोनो संस्थानों में आने–जाने के लिए एक छोटा सा गेट है। न्यायालय के मत में दोनो संस्थानों के बीच में गेट होने मात्र से उन्हें एक ही संस्थान नहीं माना जा सकता है।

16. इसके अतिरिक्त अप्रार्थी निगम के गवाह डी.डब्ल्यू.1 बी.एम.ठेठरा ने अपनी साक्ष्य में कार्यालय टिप्पणी प्रदर्श–ए9ए को भी प्रदर्शित करवाया है जिसमें यह अंकित है कि दोनो संस्थानों का मालिकाना हक अलग–अलग है परन्तु निवास का पता एक ही है। न्यायालय के मत में दोनो संस्थानों के मालिक के निवास का पता एक होने मात्र से उनका संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनो के पंजीयन प्रमाण पत्र में मालिकों के नाम अलग–अलग है तथा प्रार्थी संस्थान रीको औद्योगिक क्षेत्र के प्लोट संख्या एफ–7 व अप्रार्थी संस्थान एफ–6 पर स्थित है। कार्यालय टिप्पणी में स्पष्ट रूप से अंकित है कि दोनो संस्थानों के पर्यवेक्षण व नियंत्रण व्यवस्था अलग–अलग है, लेखा पुस्तिका अलग–अलग ही रखी जाती है परन्तु जाँच के समय एक ही स्थान पर प्रस्तुत की गई। उपरोक्त कार्यालय टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि दोनो संस्थानों के लेखा अलग–अलग रखे जाते है, उनका पर्यवेक्षण व नियंत्रण अलग–अलग है, संस्थान अलग–अलग भूखण्डों पर स्थित है और दोनो के मालिक अलग–अलग है, वेतन रजिस्टर भी अलग–अलग है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त आधारों पर यह नहीं कहा जा सकता कि दोनो संस्थानों का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो। यद्यपि यह सही है कि दोनो संचालक एक परिवार के

सदस्य है परन्तु एक परिवार के सदस्य होने मात्र के आधार पर दोनो संस्थानों को क्लब किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त "2005(3) **DNJ** (**Raj**.) 1651 **ESI Court Vs Hotel Pankaj**" में माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णीत किया है कि :-

> "**Having heard learned counsel for the parties and after perusal of the record] this court os of the opinion that the learned Court below was justified in arriving at the conclusion that two establishments were owned by different persons who were distinct and separate in the eye of law and merely because they were working in the same premises or building or the owners belonged to one family, it could not amount to both the units being one and common establishment for the purposes of this Act**."

17. इसके अतिरिक्त अप्रार्थी निगम की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि दोनो संस्थानों के उत्पादन में एकता है या कार्य समग्रता हो या वित्तीय समग्रता हो। उनका यह तर्क रहा है कि लेटर हैड पर टेलीफोन नंबर व कार्यालय का पता एक ही है, परन्तु महज एक टेलीफोन नंबर एक होने से दोनो संस्थान एक ही स्थापना का होने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता है क्योंकि दोनो संस्थानों के लेटर हैड अलग-अलग है, उनमें मालिकों के नाम, भूखण्ड संख्या अलग-अलग बताए गए है। स्वयं अप्रार्थी की ओर से परीक्षित गवाह डी.डब्ल्यू.1 बी.एम.ठेठरा ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि दोनो संस्थानों के मध्य बाउण्ड्री वॉल स्थित है ऐसे में दोनो संस्थान एक परिसर में होना भी प्रकट नहीं होता है। यद्यपि दोनो संस्थानों के मध्य एक छोटा गेट स्थित है परन्तु सामान्तयाः जब दो संस्थान एक बड़े परिवार के सदस्यों के होते है तो लोगों के आने-जाने के लिए छोटा गेट रखना कोई अतिश्योक्ति नहीं है क्योंकि दोनो परिवार के लोग आसानी से एक-दूसरे से मिल सकते है, इससे यह साबित नहीं होता है कि दोनो संस्थान एक ही स्पापना है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से दोनो संस्थानों की फंक्शनल इन्टीग्रेलिटी व वित्तीय व प्रबन्धक एकीकरण एकता कतई स्थापित नहीं है तथा निरीक्षणकर्ता ने दोनो संस्थान के कर्मचारीगण के बयान भी नहीं लिए जिससे भी स्थिति स्पष्ट हो सकती थी कि दोनो संस्थान के कर्मचारीगण की इण्टरचेन्जेबिलिटी है या नहीं है तथा अभिलेख से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी साक्षी बी.एम.ठेठरा निरीक्षक की सर्वे रिपोर्ट व निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी संस्थान को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान के तहत आच्छादित किए जाने का आदेश दिया गया जबकि

अप्रार्थी साक्षी बी.एम. ठेठरा की साक्ष्य से ही यह स्वीकृत स्थिति है कि दोनो संस्थान के मालिक व कर्मचारीगण व अकाउंट्स रिकॉर्ड व बैंक अकाउंट्स पृथक्–पृथक् है तथा प्रार्थी संस्थान जैसा कारोबार सैकड़ों ईकाइयों में है तो फिर मामले के तथ्य एवं परिस्थिति में प्रार्थी संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स को मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स के साथ संयोजित किया जाना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है तथा अप्रार्थी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी संस्थान में कर्मचारीगण की संख्या–7 है जो विधि द्वारा अपेक्षित 10 कर्मचारीगण से कम होने से अप्रार्थीगण के द्वारा जारी मांग पत्र व नोटिस निरस्त किए जाने योग्य है तथा प्रार्थी संस्थान द्वारा इस संबंध में कोई राशि विपक्षी निगम में जमा करवाई है तो वह पाने का अधिकारी है।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप विवाद्यक संख्या–1 व 2 प्रार्थी के पक्ष में तय किए जाते है।

19. **विवाद्यक संख्या–03 व 04** :–

इन दोनो विवाद्यकों को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। सुविधा व साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस दृष्टि से इन दोनो विवाद्यकों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। चूंकि विवाद्यक संख्या–01 व 02 में न्यायालय द्वारा यह विनिश्चित किया गया है कि प्रार्थी संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स व अप्रार्थी संस्थान मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स के संचालक अलग–अलग है, दोनो अलग–अलग प्लोट पर स्थित है व दोनो का लेखा भी अलग–अलग संधारित किया जाता है तथा बीमा निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में दोनो संस्थानों में 7–7 कर्मचारी कार्यरत् पाते हुए उन्हें व्याप्ति योग्य नहीं पाया था। ऐसी स्थिति में विवाद्यक संख्या–01 व 02 के विनिश्चय से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी संस्थान, अप्रार्थी संख्या–5 मैसर्स लक्ष्मी ग्राइडिंग मिल्स का प्रिंसीपल एम्प्लॉयर नहीं है तथा प्रार्थी संस्थान में 10 से कम कर्मचारी कार्यरत् होने से उक्त संस्थान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर नहीं होता है। अतः विवाद्यक संख्या–03 व 04 प्रार्थी के पक्ष में तय किए जाते है।

20. **विवाद्यक संख्या–05** :–

इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी पर है। इस विवाद्यक के संबंध में अप्रार्थी निगम के अधिवक्ता का यह कहना रहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 75(2)(बी) के अनुसार न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व व्याप्ति योग्य राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाना आवश्यक है। परन्तु प्रार्थी ने उपरोक्त प्रावधान की पालना किए बिना ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

21. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी निगम के अधिवक्ता ने विचारण के दौरान इसी आशय का एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जिसे न्यायालय ने निस्तारित करते हुए प्रार्थी को बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा कराने के आदेश दिए थे, जिस पर प्रार्थी ने बकाया रशि का 25 प्रतिशत जमा करवाकर उसकी रसीद पत्रावली पर पेश की थी, इस कारण वाद की पोषणीयता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय विचारण के दौरान ही किया जा चुका है। और अब इस आधार पर प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः यह विवाद्यक अप्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

22. **विवाद्यक संख्या–06 :–**

यह विवाद्यक अनुतोष से संबंधित है। चूंकि विवाद्यक संख्या–1 लगायत 4 प्रार्थी के पक्ष में एवं विवाद्यक संख्या–5 अप्रार्थी के विरूद्ध तय किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नवत निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

23. अतः प्रार्थी अरूण कुमार जैन प्रोपराईटर मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 75 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 विपक्षीगण सहायक निदेशक (राजस्व) क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम जयपुर व अन्य स्वीकार किया जाकर यह निर्णीत किया जाता है कि प्रार्थी संस्थान मैसर्स उदय मिनरल्स एण्ड केमिकल्स कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 12(2) के तहत "फैक्ट्री" की परिभाषा में नहीं आने के फलस्वरूप अप्रार्थी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समय–समय पर बकाया अंशदान राशि 1,42,840/–रूपये हेतु जारी मांग पत्र व वसूली नोटिस संख्या 3522 दिनांक 08.11.2010 निरस्त किए जाते है तथा प्रार्थी संस्थान ने कोई राशि अभिदाय पेटे जमा करवाई है तो वह प्रार्थी संस्थान प्राप्त करने का अधिकारी है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों में खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(रमन कुमार शर्मा),
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अजमेर

24. निर्णय/आदेश आज दिनांक 23.07.2027 को लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय सुनाया गया।

(रमन कुमार शर्मा),
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अजमेर